सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF DEVELOPMENT COMMISSIONER,
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

कार्यालय आदेश संख्या 62 / 2019

कार्यालय आदेश संख्या 15/2017 दिनांक 11.5.2017 में आंशिक आशोधन करते हुए तत्काल प्रभाव से तथा अगले आदेश होने तक के लिए निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं:-

संयुक्त विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित शक्तियां:-

क्रमांक	अनुभाग	कार्यों की सूची
1	सीप्ज़ - सेज़ / नया सेज़	• यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात एलओपी जारी करना । • एनएसडीएल से संबंधित मामले । • चुंगी छूट का अनुमोदन । • यूनिटों को बिजली शुल्क छूट के लिए प्रमाणपत्र जारी करना । • सेज़ यूनिटों को प्रारंभ प्रमाणपत्र अथवा ग्रीन कार्ड के बदले में प्रमाणपत्र जारी करना । • प्रदर्शनी के लिए व्यक्तिगत रूप से आभूषण / वस्तुएं बाहर ले जाने हेतु अनुमोदन । • नमूनों का निर्यात । • किंबर्ली सर्टिफिकेट जारी करना । • जन संपर्क । • जीएसपी कार्य का पर्यवेक्षण । • यूनिटों को सेवाओं की डिफॉल्ट सूची का अनुमोदन । • **प्राइवेट सेज़ों में प्रोजेक्शनों में संशोधन किए बिना स्थान बढ़ाना / घटाना, इन्क्यूबेशन (प्राइवेट सेज़ों में) के लिए स्थान ।** • 3 महीनों के लिए सेज़ ऑनलाइन अस्थायी विस्तार । • बंधपत्र सह विधिक वचनबंध स्वीकृत करना तथा जारी करना । • विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन के पश्चात बहिर्गमन विधिक वचनबंध की स्वीकृति । • आइईसी संशोधन । • प्रयुक्त पूंजीगत माल के प्रापण की सूचना । • विकास आयुक्त द्वारा फाइल पर प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने के पश्चात यूएसी की कार्यसूची में शामिल करना । • शुल्क वापसी के बदले में शुल्क वापसी की प्रतिपूर्ति । • सभी सीआरए / सीएजी आपत्तियों पर कार्रवाई करना । • विकास आयुक्त के अनुमोदन से सभी संसद प्रश्नों तथा सरकारी संदर्भों पर कार्रवाई करना । • सेज़ों के नए आवेदनों / नवीकरणों / ब्रॉडबैंडिंग / पूंजीगत मालों में वृद्धि से संबंधित द्वितीय कमियों के बारे में पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत । • एपीआरों के प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करना तथा न्यायनिर्णयन ।
2.	निर्यातोन्मुख यूनिट	• यूएसी द्वारा अनुमोदित किए जाने पर एलओए जारी करना । • विधिक वचनबंध का निष्पादन । • **विधिक वचनबंध के अनुशेष का अनुमोदन ।** • नए / नवीकृत ग्रीन कार्ड जारी करना । • अंतर यूनिट अंतरण से संबंधित अनुमति । • आइईसी संशोधन / निर्गम ।

		• अग्रिम डीटीए बिक्री तथा नियमित डीटीए बिक्री के लिए अनुमति । • पुनः निर्यात / पुनः आयात के लिए अनुमति । • सॉफ्टेक्स फॉर्मों का प्राधिकार । • रद्दी / अपशिष्ट के निपटान की अनुमति । • मालों के प्रतिस्थापन / मरम्मत की अनुमति । • बिना शेयर होल्डिंग पैटर्न में परिवर्तन किए नाम के परिवर्तन की अनुमति । • आइईसी नं. का आबंटन । • विकास आयुक्त द्वारा अनुमति दिए जाने के पश्चात ईओयू से अंतिम बहिर्गमन की अनुमति । • पूंजीगत माल की वृद्धि की अनुमति । • प्रदर्शनी / दौरे के माध्यम से निर्यात की अनुमति । • सीएसटी / डीबीके / टीईडी की प्रतिपूर्ति । • विकास आयुक्त के अनुमोदन से उपर्युक्त कार्यों से संबंधित सभी विवादित मामले । • एपीआर प्रस्तुत न किए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करना / न्याय निर्णयन करना । • विदेश व्यापार नीति के अनुसार गैर प्रोत्साहन / निःशुल्क बिक्री प्रमाणपत्र जारी करना । • एमईआइएस / एसईआइएस से संबंधित कार्य ।
3.	श्रम	• औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन सुलह अधिकारी । • निम्नलिखित मामलों में कार्रवाई करना:- (क) बोनस अधिनियम, 1965 (ख) ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (ग) बाल मजदूरी (प्रतिषेध तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (ङ) संविदागत मजदूरी (विनियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (च) महाराष्ट्र कामगार न्यूनतम मकान किराया भत्ता अधिनियम, 1983 (छ) वैयक्तिक प्रबंधन सलाहकार अधिनियम, 1946 (ज) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
4.	लेखा	**<u>सीएसटी / डीबीके / टीईडी तथा आरओडी</u>** • सीएसटी / डीबीके / टीईडी तथा ड्रॉबैक के बदले में शुल्क वापसी से संबंधित सभी दावों की स्वीकृति । • दूसरे हस्ताक्षरकर्ता के साथ किए गए दावों के संबंध में आरटीजीएस भुगतानों का अनुमोदन ।
5.	सूचना का अधिकार से संबंधित मामले	सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन प्रथम अपील से संबंधित सभी मामले ।
6.	प्रशासन	• समूह 'ख' तक के अधिकारियों / कर्मचारियों की सभी प्रकार की छुट्टियां । • विकास आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात समूह ख तक के अधिकारियों / कर्मचारियों के ज्ञापन जारी करना । • रिक्तियों से संबंधित सभी मामले । • पेन्शन से संबंधित सभी मामले । • सरकारी संदर्भों / संसद प्रश्नों से संबंधित सभी मामले (विकास आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात) । • एपीएआर से संबंधित सभी मामले । • विकास आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात निविदाओं / क्रय से संबंधित सभी मामले ।

उप विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित शक्तियां

1.	प्रशासन	• विकास आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात निविदाओं से संबंधित सभी अनुवर्ती मामले । • वित्तीय शक्तियों के अनुसार क्रय से संबंधित सभी मामले । • पेन्शन / सेवा निवृत्ति से संबंधित सभी मामले । • **सरकारी कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि से संबंधित मामले ।**
2.	निर्यातोन्मुख यूनिट	• जीएसपी प्रमाणपत्र जारी करना । • अंतर यूनिट अंतरण के मामलों से संबंधित सूचना । • निम्न स्तर के तकनीशीयनों के रोजगार वीज़ा के लिए पात्रता प्रमाणपत्र । • पुनः निर्यात / पुनः आयात से संबंधित मामलों की सूचना । • रद्दी / अपशिष्ट के निपटान से संबंधित मामलों की सूचना । • मालों के प्रतिस्थापन / मरम्मत से संबंधित मामलों की सूचना ।
3	वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन	**I. <u>पूर्ण शक्ति</u>** • बिजली बिलों का भुगतान । • इंटरनेट प्रभार सहित कार्यालय / आवासीय टेलीफोन बिलों का भुगतान । • डाक टिकटों की खरीद । • समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं की खरीद । • जल प्रभारों का भुगतान । • शिक्षण शुल्क / समाचार पत्रों की प्रतिपूर्ति । **II. <u>अनुमोदन के पश्चात</u>** • संविदा के अनुमोदन के पश्चात आउटसोर्स स्टाफ का भुगतान । • संविदा के अनुमोदन के पश्चात सभी एएमसी के बिलों का भुगतान । • संविदा के अनुमोदन के पश्चात किराए पर लिए गए वाहनों का भुगतान । • संविदा के अनुमोदन के पश्चात कार्टिजों सहित कंप्यूटर कनज्यूमेबल्सों की खरीद । **III. <u>सीमित शक्ति</u>** • कार्यालय के लिए लेखन सामग्री की खरीद 1,00,000/- रू. तक (एकबारगी) । • फिक्सचर्स, फर्नीचर एवं मरम्मत 1,00,000/- रू. तक (एकबारगी) । • गैर सरकारी प्रकाशन 5,000/- रू. । • खरीदना, किराए पर लेना, सभी कार्यालय उपस्करों जिनमें डेडिकेटेड वर्क प्रोसेसर्स, इंटरकॉम उपस्कर, कलकुलेटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स स्टैंसिल कटर, डिक्टाफोन्स, टेप रिकॉर्ड, फोटो कॉपियां, कॉपीइंग मशीनें, फ्रैकिंग मशीनें, एड्रसोग्राफ्स, फाइलिंग तथा इन्डेक्सिंग सिस्टम्स आदि शामिल हैं, का रखरखाव तथा मरम्मत - प्रतिमाह 15,000/- रू. तक ।
<u>सहायक विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित शक्तियां</u>		
1	अनुभाग	• यूनिटों / विकासकों / सह विकासकों के सभी आवेदनों / अनुरोधों की जांच करने के पश्चात प्रथम कमियों से संबंधित पत्र । • एलओए / सभी अनुमोदन / अनुमति के स्वीकृत किए जाने की सूचना । • कर्मचारियों को डिज़िटल हस्ताक्षर जारी करने के लिए अनुमोदन देना । • सेज़ों तथा ईओयू के ईपीसीएस से संबंधित कार्य । • पासपोर्ट प्रयोजन के लिए वास्तविक प्रमाणपत्र जारी करना । • शुद्धिपत्र (केवल टंकण संबंधी त्रुटियों के लिए) जारी करना ।

1. (i) संयुक्त विकास आयुक्त, पुणे को पुणे क्लस्टर के सेज़ मामलों में वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो संयुक्त विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज़ को प्राप्त हैं - सिवाय सीआरए, डीबीके, एमईआइएस, एसईआइएस से संबंधित कार्यों के तथा अन्य ऐसे कार्यों के जो सीप्ज़-सेज़ में केंद्रीय रूप से किए जाते हैं ।
   (ii) संयुक्त विकास आयुक्त, पुणे समूह "ख" तक के सभी अधिकारियों की सभी प्रकार की छुट्टियों के संबंध में कार्रवाई करेंगे । वे अभिलेख प्रयोजन के लिए अर्जित छुट्टियों के आवेदन सविआ, प्रशासन, सीप्ज़ को भिजवाएंगे ।
2. उप विकास आयुक्त को प्रत्यायोजित उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग विनिर्दिष्ट अधिकारी श्री आशीष मिश्र द्वारा किया जाएगा सिवाय उन शक्तियों के जो ईओयू से संबंधित हैं तथा जिनका प्रयोग उप विकास आयुक्त श्री महेश यादव द्वारा किया जा रहा है ।

हस्ता/-

विकास आयुक्त
सीप्ज़-सेज़

सं.सीप्ज़-सेज़/प्रशासन/273/08-09/16855

दिनांक: 19.8.2019

प्रतिलिपिः- (i) सभी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी
(ii) कार्यालय आदेश फाइल
(iii) कार्यालय आदेश रजिस्टर

(प्रवीण चंद्र)
संयुक्त विकास आयुक्त,
सीप्ज़ - सेज़